अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 73/2017 दायरा दिनांक : 16.06.2017

उनवान

अनार सिंह आत्मज देवी सिंह, जाति गूर्जर, निवासी उमरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़

2– कंचन बाई पुत्री भवानी सिंह, जाति ब्राहमण, निवासी उमरिया,

3– चन्दा बाई पुत्री भवानी सिंह, जाति ब्राहमण, निवासी उमरिया,

4– मुनीबाई पुत्री भवानीसिंह, जाति ब्राहमण, निवासी उमरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी.एल. माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या–12/प्रार्थना पत्र/2013 निर्णय दिनांक 08.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम उमरिया पटवार मण्डल उमरिया, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या 4 की आराजी खसरा नम्बर 392, 393, 394 व खसरा नम्बर 400 की कुल 4 किता की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है । अप्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर 392 की 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी में से 50 X 50 वर्ग फीट भूमि पर मोबाईल टावर कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तित करवाये स्थापित कर रखा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 क के अन्तर्गत आता है। अप्रार्थी धारा 177 ख के अन्तर्गत बेदखल किये जाने योग्य है तथा उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदख्ल किया जाकर भूमि राजसात किये जाने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से दिनांक 08.05.2017 को एक पक्षीय रूप से स्वीकार कर खसरा नमबर 392 की 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी में से 50 X 50 कुल 2500 वर्ग फीट भूमि को जहां मोबाईल टावर स्थित है उससे बेदखल किया जाकर कब्जा राज में लिया जाकर सरकारी दर्ज किये जाने के आदेश किये गये हैं जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध तथा कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिशयस व परर्वस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये बगैर तथा अपीलार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। पत्रावली में कानूनी प्रक्रिया अपनाये वगैर राजस्व अभियान के दौरान मात्र औपचारिक निर्णय पारित किये जाने के उद्देश्य से विधि के प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए निर्णय जैर अपील एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है । उक्त प्रकरण में दिनांक 18.04.2017 को पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत थी, उक्त दिनांक को निर्णय पारित न कर दिनांक 08.05.2017 बिना किसी सूचना के उमरिया केम्प नियत कर दी गई जबकि इस हेतु अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे और अपीलांट को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 4 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर बहस योग्य अभिभाषक सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं मौका रिपोर्ट ग्राम उमरिया प0 म0 उमरिया दिनांक 15.09.2022 पेश की जिसमें अंकित किया कि ग्राम उमरिया प0 म0 उमरिया की आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा (0.3541 हेक्टर) भूमि में रिलाइन्स कम्पनी का टावर लगा हुआ है, जो वर्तमान में बन्द है । उपरोक्त टावर 50 X 50 वर्ग फीट भूमि में लगा हुआ है जो बिना भूमि सम्परिवर्तन कराये टावर लगा रखा है जिसमें श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय अकलेरा के डिकी आदेशानुसार 50 X 50 वर्ग फीट भूमि नामा0 सं0 678 से सिवायचक कर दी गई

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है । वर्तमान में सिवाय चक 50 X 50 वर्ग फीट भूमि का खसरा नम्बर 1130/392 रकबा 0.0253 हेक्टर है जो खाता सरकार खाता संख्या 1 में दर्ज है। जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । पटवार मण्डल उमरिया सर्किल भालता की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि को सम्परिवर्तन कराये बिना ही रिलाइन्स कम्पनी का टावर लगा रखा है । उपखण्ड अधिकारी महोदय अकलेरा के डिक्री आदेशानुसार 50 X 50 वर्ग फीट भूमि नामा0 सं0 678 से सिवायचक कर दी गई है । वर्तमान में सिवाय चक 50 X 50 वर्ग फीट भूमि का खसरा नम्बर 1130/392 रकबा 0.0253 हेक्टर है जो खाता सरकार खाता संख्या 1 में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं । अपील सारहीन होन से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा